लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

सोमवार, 18 सितम्बर, 2023/ 27 भाद्रपद, 1945 (शक)

संख्या 248

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

2*. अध्यक्ष द्‌वारा बधाई

अध्यक्ष ने भारत की अध्यक्षता और माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में साठ शहरों में जी-20 से संबंधित बैठकों के सफल आयोजन और नई दिल्ली में 18वें शिखर सम्मेलन के समापन पर सभा की ओर से राष्ट्र को बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.15 बजे

3. विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

श्री सुनील कुमार सिंह ने विशेषाधिकार समिति का छठा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

4. "संविधान सभा से अब तक 75 वर्षों की संसदीय यात्रा - उपलब्धियां, अनुभव, स्मृतियां और सीख" पर चर्चा।

अध्यक्ष ने उक्त विषय के बारे में टिप्पणी[$] की।

तत्पश्चात्, श्री नरेन्द्र मोदी[*] ने चर्चा आरंभ की।

उपलब्ध समय : 6 घंटे

लिया गया समय : 6 घंटा 48 मिनट

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री अधीर रंजन चौधरी
2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुदीप बन्दोपाध्याय
4. श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी
5. श्री गिरिधारी यादव
6. श्री भर्तृहरि महताब
7. श्री राहुल रमेश शेवाले
8. श्री राकेश सिंह
9. श्रीमती सुप्रिया सुले
10. श्री गिरीश चन्द्र
11. डॉ. एस.टी. हसन
12. श्री मनीश तिवारी
13. सुश्री लॉकेट चटर्जी
14. श्री नामा नागेश्वर राव
15. श्री हसनैन मसूदी
16. श्री चिराग कुमार पासवान
17. श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर
18. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

$ मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* माननीय प्रधानमंत्री

19. श्री के. सुब्बारायण
20. श्री जयदेव गल्ला
21. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी
22. श्री एस. वेंकटेशन
23. #श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
24. श्री ए. राजा
25. ##श्री पीयूष गोयल (हस्तक्षेप किया)
26. श्री अरुण साव
27. श्री असादुद्दीन ओवैसी
28. श्री अरविंद सावंत
29. श्रीमती नवनित रवि राणा
30. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
31. श्री इंद्रा हांग सुब्बा
32. श्री हनुमान बेनीवाल
33. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
34. श्री सुशील कुमार रिंकू
35. डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन

चर्चा पूरी हुई।

तत्पश्चात्, अध्यक्ष ने माननीय सदस्यों से संसदीय आचरण के उच्चतम मानक बनाए रखने का आह्वान* किया।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

वाणिज्य और उद्योग मंत्री; उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री; तथा वस्त्र मंत्री

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 05:59 बजे

5. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने 19.09.2023 को अपराह्न 01:15 बजे से नए संसद भवन में लोकसभा की बैठक के बारे में घोषणा की।

सायं 06.03 बजे

(लोक सभा मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023 के अपराह्न 1.15 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

मंगलवार, 19 सितम्बर, 2023/ 28 भाद्रपद, 1945 (शक)

संख्या 249

अपराहन 1.15 बजे

1. राष्ट्रगान

राष्ट्रगान की धुन बजाई गई।

अपराहन 1.17 बजे

2[*]. अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अध्यक्ष ने भारत के संसद भवन (नए संसद भवन) में सभा की बैठक के बारे में टिप्पणी की। उन्होंने इस ऐतिहासिक अवसर पर सभी सदस्यों को बधाई भी दी।

तत्पश्चात्, श्री नरेन्द्र मोदी[$] ने सभा को संबोधित किया।

इस अवसर पर श्री अधीर रंजन चौधरी ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

---

[*] मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

[$] माननीय प्रधानमंत्री ।

अपराह्न 2.11 बजे

3. सरकारी विधेयक - पुरःस्थापित

संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन), विधेयक 2023.

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) विधेयक पर बोले।

तत्पश्चात्, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पुरःस्थापित किया गया।

अपराह्न 2.25 बजे

4. सभा पटल पर रखे गए पत्र

पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री किरेन रिजीजू) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 57 के अंतर्गत भारतीय अंटार्कटिक पर्यावरणीय संरक्षण नियम, 2023 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 592(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 23 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 3508(अ) जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पदेन अध्यक्ष, पदेन सदस्यों और विशेषज्ञता प्राप्त सदस्यों से मिलकर बनी अंटार्कटिक शासन एवं पर्यावरणीय संरक्षण समिति का गठन किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) भारतीय अंटार्कटिक अधिनियम, 2022 की धारा 1 की उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ.3509(अ) जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा अगस्त, 2023 के सातवें दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस तारीख को उक्त अधिनियम के उपबंध प्रवृत्त होंगे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 586(अ) जो 3 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय डीजीटीआर द्वारा जारी अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में पांच वर्ष तक की अवधि के लिए चीन जनवादी गणराज्य, इंडोनेशिया और कोरिया गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित डिस्पर्सन अनशिफ्टेड सिंगल-मोड ऑप्टिकल फाइबर पर प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) अधिरोपित करना है।

(दो) सा.का.नि. 634(अ) जो 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य और मलेशिया से "फिशिंग नेट" के आयात पर 28 अगस्त, 2028 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, प्रतिपाटन शुल्क उद्ग्रहीत करना है।

(तीन) सा.का.नि. 661(अ) जो 11 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय चीन जनवादी गणराज्य से उद्भूत या वहां से निर्यातित "फ्लैट बेस स्टील व्हील्स" के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क (एडीडी) जो दिनांक 13 सितम्बर, 2018 की अधिसूचना सं. 46/2018-सीमा-शुल्क (एडीडी) द्वारा अधिरोपित किया गया था, का विस्तार करना है।

(2) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 616(अ) जो 19 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 50 प्रतिशत की टैरिफ दर के साथ प्याज (एचएस कोड 0703 10) को शामिल करने के उद्देश्य से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 628(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 20 प्रतिशत की टैरिफ दर के साथ चावल, आंशिक रूप से उबले हुए (एचएस कोड 1006 30 10) को शामिल करने के उद्देश्य से सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की दूसरी अनुसूची में

संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 617(अ) जो 19 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय प्याज (एचएस कोड 0703 10) के निर्यात पर 40 प्रतिशत का निर्यात शुल्क विहित करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 31 दिसम्बर, 2023 तक लागू रहेगी।

(दो) सा.का.नि. 629(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 अक्टूबर, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 796(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 643(अ) जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 फरवरी, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 69(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 653(अ) जो 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 656(अ) जो 5 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 785(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 600(अ) जो 14 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 601(अ) जो 14 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 646(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित

हुए थे तथा जिनके द्‌वारा 19 जुलाई, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 584(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 647(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्‌वारा 30 जून, 2022 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 492(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) बेनामी संपत्ति संव्यवहार का प्रतिषेध अधिनियम, 1988 की धारा 69 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 571(अ) जो 31 जुलाई, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्‌वारा 19 जुलाई, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 499(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराहन 2.26 बजे

5. विधेयकों पर अनुमति

(एक) महासचिव ने 21 जुलाई, 2023 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात् सत्रहवीं लोक सभा के बारहवें सत्र के दौरान संसद की सभाओं द्‌वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छह विधेयक सभा पटल पर रखे:-

1) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2023;
2) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023;
3) संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2023;
4) केन्द्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023;
5) एकीकृत माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2023; और
6) मध्यकता विधेयक, 2023.

(दो) महासचिव ने संसद की सभाओं द्‌वारा पारित तथा राष्ट्रपति से अनुमति प्राप्त निम्नलिखित सत्रह विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्‌वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित एक-एक प्रति भी सभा पटल पर रखी:-

1) जैव विविधता (संशोधन) विधेयक, 2023;
2) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2023;

3) वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023;

4) खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023;

5) अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023;

6) *जन विश्वास* (उपबंधों का संशोधन) विधेयक, 2023;

7) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2023;

8) जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2023;

9) राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023;

10) डिजिटल वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक, 2023;

11) भारतीय प्रबंध संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2023;

12) संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2023;

13) अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान विधेयक, 2023;

14) राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक, 2023;

15) तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023;

16) अंतर-सेना संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023; और

17) भेषजी (संशोधन) विधेयक, 2023.

अपराहन 2.28 बजे

6. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने घोषणा की कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम में उल्लिखित सभा भवन, लॉबियों, दीर्घाओं का तात्पर्य इस नए संसद भवन, जिसे भारत के संसद भवन के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है, के सभा भवन, लॉबियों और दीर्घाओं से है।

अध्यक्ष ने यह घोषणा भी की कि संसद के केन्द्रीय कक्ष, जहाँ आज सुबह सदस्य एकत्र हुए थे, को *संविधान सदन* के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया है।

---

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए, उस दिन का वाद-विवाद देखें।

अपराह्न 2.29 बजे

(लोक सभा बुधवार, 20 सितम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

बुधवार, 20 सितम्बर, 2023/ 29 भाद्रपद, 1945 (शक)

संख्या 250

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. सभा पटल पर रखे गए पत्र

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 8क की उप-धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) आ.अ. 19(अ) जो 20 जून, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के लिए परिसीमन आदेश अधिसूचित किए गए हैं।

(दो) आ.अ. 33(अ) जो 11 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा असम राज्य में संसदीय और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अधिसूचित किया गया है।

(तीन) का.आ. 3661(अ) जो 16 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 अगस्त, 2023 कोउस तारीख के रूप मेंअधिसूचित किया गया है जिस तारीख को असम राज्य के संबंध में 20 जून, 2023 की अधिसूचना सं. आ.अ. 19(अ)द्वारा किया गया निर्वाचन आयोग का आदेश सं. 1 और 11 अगस्त, 2023 की अधिसूचना सं. आ.अ. 33(अ)द्वारा किया गया आदेश सं. 2 प्रभावी होगा।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 169 की उप-धारा (3) के अंतर्गत

निर्वाचनों का संचालन (संशोधन) नियम, 2023 जो 23 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. का.आ. 3778(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) रेल अधिनियम, 1989 की धारा 199के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) रेल (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए खोला जाना) संशोधन नियम, 2023 जो 28 अप्रैल, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 321(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 22 मई, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 378(अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) रेल (यात्रियों के सार्वजनिक वहन के लिए खोला जाना) दूसरा संशोधन नियम, 2023 जो 29 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 633(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उप-धारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (......संशोधन) विनियम, 2022 जो 3 जून, 2022 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ई.पी. 1(7)/2015 मेंप्रकाशित हुए थे तथा उसके दो शुद्धिपत्र जो 3 अगस्त, 2022 की अधिसूचना सं. 1(7)/2015 और 20 दिसम्बर, 2022 की अधिसूचना सं. 1(7)/2017 (केवल हिन्दी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम (स्टाफ) (पहला संशोधन) विनियम, 2023 जो 26 मई, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. ई.पी. 1(7)/2015 में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मीनाक्षी लेखी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) (एक) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तिब्बत हाउस, नई दिल्ली के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 20ङ की उप-धारा (6) के अंतर्गत ओल्ड मैरियन छावनी, लखनऊ में प्री-म्यूटिनी रेसिडेन्सी की साइट को चिह्नित करने वाले केंद्रीय संरक्षित संस्मारक - स्मारक स्तंभ के राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण विरासत उप-नियम, 2023, दिनांक 26 मई, 2023 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) ने शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष सरकार) की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) भारतीय प्रबंध संस्थान अधिनियम, 2017 की धारा 37 के अंतर्गत भारतीय प्रबंध संस्थान बेंगलूर विनियम, 2023 जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. आईआईएमबी/आरईजी/590/2023 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2020 की धारा 44 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्विद्यालय के अध्यादेश - 2023 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं.

(दो)एलबीएसएनयू/आरईजी/(11)/अध्यादेश/2023 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्विद्यालय के विनियम - 2021 जो 7 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. (दो)एलबीएसएनयू/आरईजी/(11)/अध्यादेश/2023 में प्रकाशित हुए थे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन

श्री अधीर रंजन चौधरी ने लोक लेखा समिति (2023-24) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किए:-

(1) 'भूजल प्रबंधन और विनियमन' के बारे में 74वां प्रतिवेदन।

(2) 'सांस्कृतिक संस्थाओं से संबंधित मुद्दे' के बारे में 75वां प्रतिवेदन।

3. सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का कार्यवाही सारांश

श्री रवनीत सिंह ने सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की दिनांक 09.08.2023 को हुई ग्यारहवीं बैठक का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

4. श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री भर्तृहरि महताब ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से संबंधित 'कर्मचारी राज्य बीमा निगम - ईएसआई योजना के अंतर्गत प्रयोजनीयता और लाभ, ईएसआई अस्पतालों का कार्यकरण और कायिक निधि का प्रबंधन' के बारे में श्रम, वस्त्र और कौशल विकास संबंधी स्थायी समिति (2022-23) का 51वां प्रतिवेदन* (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

---

* प्रतिवेदन लोक सभा अध्यक्ष के निदेश के निदेश 71क (1) के अंतर्गत 11 सितम्बर, 2023 को माननीय अध्यक्ष को तब प्रस्तुत किया गया, जब सभा का सत्र नहीं चल रहा था और अध्यक्ष ने लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 280 के अंतर्गत प्रतिवेदन के मुद्रण, प्रकाशन और परिचालन का आदेश दिया।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

5. सरकारी विधेयक - पारित

संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन), विधेयक 2023.

आवंटित समय: 5 घण्टे

लिया गया समय: 9 घण्टा 57 मिनट

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा पेश किए गए संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1.	श्रीमती सोनिया गांधी
2.	श्री निशिकांत दुबे
3.	श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि
4.	डॉ. काकोली घोष दस्तीदार
5.	श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथ
6.	श्री राजीव रंजन सिंह *उर्फ* ललन सिंह
7.	श्रीमती राजश्री मल्लिक
8.	श्रीमती संगीता आज़ाद
9.	श्री नामा नागेश्वर राव
10.	सुश्री भावना गवली (पाटील)
11.	सुश्री एस. जोतिमणि
12.	श्रीमती सुनीता दुग्गल
13.	श्रीमती वीणा देवी

14.	श्रीमती सुप्रिया सुले
15.	श्रीमती डिम्पल यादव
16.	श्रीमती जसकौर मीना
17.	श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी
18.	श्रीमती गोमती साय
19.	डॉ. टी. सुमति (ए) तामिझाची थंगापंडियन
20.	*श्रीमती अनुप्रिया पटेल
21.	श्री हसनैन मसूदी
22.	श्री के. सुब्बारायण
23.	डॉ. बीसेट्टी वेंकट सत्यवती
24.	श्री जगदम्बिका पाल
25.	सुश्री राम्या हरिदास
26.	**डॉ. भारती प्रवीण पवार
27.	सुश्री महुआ मोइत्रा
28.	***श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी
29.	एडवोकेट ए.एम. आरिफ़
30.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल
31.	श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर

* वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

*** महिला और बाल विकास मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

32.	श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे
33.	श्रीमती कविता सिंह
34.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी
35.	श्री असादुद्दीन ओवैसी
36.	श्री चिराग कुमार पासवान
37.	श्री हनुमान बेनीवाल
38.	श्रीमती नवनित रवि राणा
39.	श्रीमती कविता मलोथू
40.	श्री केसिनेनी श्रीनिवास (नानी)
41.	श्रीमती सुमलता अम्बरीश
42.	श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
43.	श्रीमती संध्या राय
44.	श्री अरविंद सावंत
45.	श्रीमती अगाथा के. संगमा
46.	श्रीमती अपराजिता सारंगी
47.	श्री गिरीश चन्द्र
48.	श्री पी. रविन्द्रनाथ
49.	श्री थोमस चाज़िकाडन
50.	श्री इंद्रा हांग सुब्बा
51.	श्री विजय कुमार हांसदाक
52.	श्रीमती शारदाबेन अनिलभाई पटेल

53.	श्री तोखेहो येपथोमी
54.	श्री लोरहो एस. फोज़
55.	मौलाना बदरुद्दीन अजमल
56.	श्री सुशील कुमार रिंकू
57.	डॉ. थोलकाप्पियन तिरुमावलवन
58.	श्रीमती शताब्दी राय
59.	श्री राहुल गांधी
60.	*श्री अमित शाह

श्री अर्जुन राम मेघवाल ने वाद-विवाद का उत्तर दिया।

संविधान (128वां संशोधन) विधेयक, 2023 पर विचार किए जाने का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 454; #विपक्ष में 2 । प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

विधेयक पर खंड-वार विचार किया गया।

संशोधन सं. 37 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

---

* गृह मंत्री; तथा सहकारिता मंत्री

\# शुद्धि के अध्यधीन

खंड 2 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 454; #विपक्ष में 2 ।

खंड 2 सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं. 38 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंड 3 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 454; #विपक्ष में 2 ।

खंड 3 सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

संशोधन सं. 40 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खंड 4 को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 454; #विपक्ष में 2 ।

खंड 4 सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

खंड 5 का संशोधन सं. 2 मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

खंड 5, यथासंशोधित, को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 452; #विपक्ष में 2 ।

शुद्धि के अध्यधीन

खंड 5, यथासंशोधित, सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

खंड 6 का संशोधन सं. 3 मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

खंड 6, यथासंशोधित, को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 453; #विपक्ष में 2 ।

खंड 6, यथासंशोधित, सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

खंड 1 का संशोधन सं. 1 मतदान के लिए रखा गया और स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथासंशोधित, को स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 453; #विपक्ष में 2 ।

खंड 1, यथासंशोधित, सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम भी स्वीकृत हुए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा विधेयक, यथासंशोधित, को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया।

प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ और मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार रहा: #पक्ष में 454; #विपक्ष में 2 ।

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा स्वीकृत हुआ।

शुद्धि के अध्यधीन

विधेयक, यथासंशोधित, संविधान के अनुच्छेद 368 की उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।

6. कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन#

श्री प्रहलाद जोशी ने कार्य मंत्रणा समिति का 45वां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।

रात्रि 9.03 बजे

7. अध्यक्ष द्वारा घोषणा*

अध्यक्ष ने घोषणा की कि चन्द्रयान-3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में 21.09.2023 को चर्चा की जाएगी।

रात्रि 9.03 बजे

(लोक सभा गुरुवार, 21 सितम्बर, 2023 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव

अपराह्न 4.59 बजे

* मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

लोक सभा

समाचार - भाग 1

(कार्यवाही का संक्षिप्त वृत्तांत)

गुरुवार, 21 सितम्बर, 2023/ 30 भाद्रपद, 1945 (शक)

संख्या 251

पूर्वाह्न 11.00 बजे

1. #बधाई

श्री नरेन्द्र मोदी* ने संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023 को पारित करने में सभी सदस्यों द्वारा सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए उन्हें बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

2. # अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

(एक) अध्यक्ष ने अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस के अवसर पर उल्लेख किया।

(दो) अध्यक्ष ने चन्द्रयान-3 मिशन की सफलता और प्रथम सौर मिशन, आदित्य-एल1 के प्रक्षेपण के लिए देश के सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और लोगों को बधाई दी।

पूर्वाह्न 11.14 बजे

3. सभा पटल पर रखे गए पत्र

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

---

मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

* माननीय प्रधान मंत्री

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.1094(अ) जो 16 अप्रैल, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण की अवधि को 15 जुलाई, 2014 तक बढ़ाया गया है।

(दो) का.आ.1244(अ) जो 9 मई, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) का.आ.1622(अ) जो 27 जून, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बने लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(चार) का.आ.3252(अ) जो 22 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा सीआरजेड अधिसूचना 2011 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पांच) का.आ.2082(अ) जो 30 जुलाई, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 अप्रैल, 2015 की अधिसूचना सं. का.आ.934(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छह) का.आ.2266(अ) जो 20 अगस्त, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, अध्यक्ष, सदस्यों और सदस्य सचिव से मिलकर बने अंडमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(सात) का.आ.2569(अ) जो 18 सितम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पश्चिम बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(आठ) का.आ.1421(अ) जो 13 अप्रैल, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, आंध्र प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3

वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(नौ) का.आ.2060(अ) जो 10 जून, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, केरल प्रदेश तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(दस) का.आ.3324(अ) जो 26 अक्टूबर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(ग्यारह) का.आ.1154(अ) जो 18 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, गुजरात तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(बारह) का.आ.1212(अ) जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेरह) का.आ.1213(अ) जो 23 मार्च, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चौदह) का.आ.4097(अ) जो 20 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, दमन और दीव तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(पंद्रह) का.आ.4162(अ) जो 23 दिसम्बर, 2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सोलह) का.आ.621(अ) जो 23 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सत्रह) का.आ.622(अ) जो 23 फरवरी, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(अठारह) का.आ.679(अ) जो 1 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, कर्नाटक तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(उन्नीस) का.आ.1393(अ) जो 3 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बीस) का.आ.2444(अ) जो 2 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इक्कीस) का.आ.2445(अ) जो 2 अगस्त, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(बाईस) सा.का.नि.1227(अ) जो 9 अक्टूबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तेईस) का.आ.274(अ) जो 17 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, लक्षद्वीप तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(चौबीस) का.आ.1002(अ) जो 6 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पच्चीस) का.आ.3197(अ) जो 2 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.19(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छब्बीस) का.आ.3303(अ) जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, तमिलनाडु तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(सत्ताईस) का.आ.3312(अ) जो 6 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(अट्ठाईस) का.आ.3546(अ) जो 20 जुलाई, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, ओडिशा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए किया गया है।

(उनतीस) का.आ.3840(अ) जो 3 अगस्त, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जनवरी, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.20(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीस) का.आ.4290(अ) जो 5 सितम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 6 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. का.आ.3303(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(इकतीस) का.आ.5096(अ) जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पुदुचेरी तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(बत्तीस) का.आ.5953(अ) जो 3 दिसम्बर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, पश्चिम बंगाल तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(तैंतीस) का.आ.4137(अ) जो 18 नवम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(चौतीस) का.आ.4620(अ) जो 26 दिसम्बर, 2019 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 31 अक्टूबर, 2019 की अधिसूचना सं. का.आ.3975(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(पैंतीस) का.आ.5188(अ) जो 14 दिसम्बर, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(छत्तीस) का.आ.5119(अ) जो 3 नवम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 1 मई, 2020 की अधिसूचना सं. का.आ.1423(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(सैंतीस) का.आ.6071(अ) जो 27 दिसम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, गोवा तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(अड़तीस) का.आ.5097(अ) जो 3 अक्टूबर, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा, उसमें उल्लिखित, अंडमान और निकोबार तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण का पुनर्गठन इस आदेश के प्रकाशित होने की तारीख से तीनवर्ष की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया है।

(उनतालीस) का.आ.4566(अ) जो 28 सितम्बर, 2022 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 13 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. का.आ.5188(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(चालीस) का.आ.803(अ) जो 14 मार्च, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 जून, 2016 की अधिसूचना सं. का.आ.2060(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण पाल) ने ब्रिज एंड रुफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड तथा भारी उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2023-2024 और 2024-2025 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दानवे रावसाहेब दादाराव) ने खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी:-

(1) का.आ. 3684(अ) जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अगस्त, 2013 के 17वें दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस तारीख को खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 प्रवृत्त होगा।

(2) का.आ. 3685(अ) जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा अगस्त, 2013 के 17वें दिन को उस तारीख के रूप में अधिसूचित किया गया है, जिस तारीख को अपतट क्षेत्र खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2023 प्रवृत्त होगा।

(3) सा.का.नि. 642(अ) जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. एम.VI-16/15/2021-खान VI, दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी 'प्रत्यायित प्राइवेट अन्वेषण अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत' के अनुसार मेसर्स एंजीओटेक कंसल्टेंट को 'प्रवर्ग क अन्वेषण अभिकरणों' के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

(4) का.आ.3890(अ) जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 16 दिसम्बर, 2021 की अधिसूचना सं. सा.का.नि.860(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(5) खनिज (नीलामी) संशोधन नियम, 2023 जो 1 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 648(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(6) सा.का.नि. 669(अ) जो 14 सितम्बर, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा खान मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश सं. एम.VI-16/15/2021-खान VI, दिनांक 12 अगस्त, 2021 द्वारा जारी किए गए 'प्रत्यायित प्राइवेट अन्वेषण अभिकरणों की अधिसूचना के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत' के अनुसार मेसर्स कार्तिकेय

एक्सप्लोरेशन एण्ड माईनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 'प्रवर्ग क अन्वेषण अभिकरणों' के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) सा.का.नि. 612(अ) जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 19 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 609(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का.आ. 3683(अ) जो 17 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसका आशय मैसर्स यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड के पक्ष में जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में सामान्य न्यायनिर्णयन प्राधिकरण नियुक्त करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 624(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 10 नवम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 699(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 625(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 24 मई, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 385(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 626(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 जुलाई, 2023 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 508(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 627(अ) जो 25 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 28 जून, 2019 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 452(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ.3419(अ) जो 31 मार्च, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था

तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना सं. 57/2023- सीमाशुल्क (एन.टी.)दिनांक 3 अगस्त, 2023 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय दर में संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का.आ.3640(अ) जो 14 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) अधिसूचना सं. 61/2023- सीमाशुल्क (एन.टी.)दिनांक 17 अगस्त, 2023 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय दर में संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) अधिसूचना सं. 62/2023- सीमाशुल्क (एन.टी.)दिनांक 25 अगस्त, 2023 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय दर में संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) का.आ.3851(अ) जो 31 अगस्त, 2023 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या का.आ. 748(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) अधिसूचना सं. 64/2023- सीमाशुल्क (एन.टी.)दिनांक 6 सितम्बर, 2023 जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तित करने के लिए विनिमय दर में संशोधन के बारे में है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) अधिसूचना सं. एफ़.सं. 461/07/2023-सीयूएस V दिनांक 28 अगस्त, 2023 जिसके द्वारा सिक्किम में ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (जीएलओएफ) जोखिम पर पायलट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उपकरणों के आयात के लिए तदर्थ छूट को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) अधिसूचना सं. एफ़.सं. 460/01/2023-सीयूएस V दिनांक 29 अगस्त, 2023 जिसके द्वाराअखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारत में स्कूलों के बीच

वितरण के लिए 1.15 मिलियन फुटबॉल के आयात के लिए तदर्थ छूट के अनुरोध को अधिसूचित किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 37 के अंतर्गत सेवा की गुणवत्ता (मीटरिंग और बिलिंग सटीकता के लिए पद्धति संहिता)विनियम, 2023जो 12 सितंबर, 2023 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. एफ.सं. सी-2/8(1)/2021-क्यूओएस में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखी।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रवीण पवार) ने निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे:-

(1) राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति आयोग अधिनियम, 2021 की धारा 69 की उप-धारा (2) के अंतर्गत, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देख-रेख वृत्ति पांचवा (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2023, जो 19मई, 2023के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्याका.आ. 2232(अ) में प्रकाशित हुआ था,की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जम्मू के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जम्मू के वर्ष 2019-2020 और 2020-2021 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जम्मू के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) (एक) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देवघर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) (एक) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2021-2022 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय वाक् और श्रवण संस्थान, मैसूर के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(11) भारतीय नर्स परिषद् अधिनियम, 1947 की धारा 16 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) भारतीय नर्स परिषद् (डिप्लोमा इन पब्लिक हेल्थ नर्सिंग),विनियम, 2020, जो 10अक्टूबर, 2022के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ़.सं. 11-1/2019-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय नर्स परिषद् (आयुर्वेद स्पेशियलिटी नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा-आवासीय कार्यक्रम)विनियम, 2022, जो 23फरवरी, 2023के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ.सं. 11-1/2022-आईएनसी में प्रकाशित हुए थे।

पूर्वाह्न 11.16 बजे

4. प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन

डॉ. संजय जायसवाल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित 'सीजीएचएस के अंतर्गत विभिन्न पहलों का मूल्यांकन' विषय के बारे में प्राक्कलन समिति (2023-24) के 21वें प्रतिवेदन (17वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई पर समिति का 27वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत किया।

5. गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

श्री विष्णु दयाल राम ने 'कारागार- स्थितियां, अवसंरचना और सुधार' के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति का 243वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

6. **शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन**

श्री जगन्नाथ सरकार ने शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधी स्थायी समिति का 'उच्चतर शिक्षा में नई शिक्षा नीति, 2020 का कार्यान्वयन' के बारे में 356वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

7. परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन

श्री तापिर गाव ने परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखे:-

(1) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 339वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 355वां प्रतिवेदन।

(2) संस्कृति मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-24) के बारे में समिति के 340वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई संबंधी 356वां प्रतिवेदन।

(3) 'विशिष्ट पर्यटन (आध्यात्मिक पर्यटन सहित), थीम आधारित पर्यटन सर्किट और संभाव्य पर्यटक स्थल का विकास' विषय के बारे में 357वां प्रतिवेदन।

(4) 'विद्यमान और नये राष्ट्रीय अंतरदेशीय जलमार्गों का विकास और विस्तार' विषय के बारे में 358वां प्रतिवेदन।

(5) 'भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्यकरण' विषय के बारे में 359वां प्रतिवेदन।

8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

डॉ. महेश शर्मा ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान का कार्यान्वयन' विषय के बारे में 149वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखा।

9. मंत्री द्वारा वक्तव्य

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री देवुसिंह चौहान) ने डाक विभाग, संचार मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-2024) के बारे में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 44वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया।

10. प्रस्ताव

श्री प्रहलाद जोशी ने निम्नलिखित प्रस्ताव किया:-

"कि यह सभा 20 सितम्बर, 2023 को सभा को प्रस्तुत कार्य मंत्रणा समिति के 45वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पूर्वाह्न 11.20 बजे

11. चन्द्रयान-3 मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा।

उपलब्ध समय: 6 घण्टे

लिया गया समय: 12 घण्टा 18 मिनट

श्री राज नाथ सिंह* ने चर्चा आरंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया:-

1. डॉ. शशि थरूर
2. श्री ए. राजा
3. प्रो. सौगत राय
4. श्री लावू श्रीकृष्णा देवरायालू
5. श्री प्रतापराव जाधव
6. श्री दिलेश्वर कामैत
7. श्री अच्युतानंद सामंत
8. श्री रामशिरोमणि वर्मा
9. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी
10. श्रीमती सुप्रिया सुले
11. श्री प्रिंस राज
12. श्री जयंत सिन्हा
13. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम
14. श्री के. सुब्बारायण
15. श्री सुमेधानन्द सरस्वती
16. श्रीमती डिम्पल यादव
17. श्री एस. जगतरक्षकन
18. श्री हसनैन मसूदी
19. डॉ. सत्यपाल सिंह

---

* रक्षा मंत्री

20. श्री फ्रांसिस्को सर्दिन्हा
21. श्री एस. वेंकटेशन
22. श्री तेजस्वी सूर्या
23. श्रीमती अपरूपा पोद्दार
24. श्री मलूक नागर
25. *श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल
26. डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी
27. श्री सय्यद जलील
28. श्री उदय प्रताप सिंह
29. श्रीमती हेमामालिनी
30. श्री राम मोहन नायडू किंजरापु
31. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
32. एडवोकेट डीन कुरियाकोस
33. श्री मारगनी भरत
34. श्री अरविंद सावंत
35. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव
36. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन
37. श्री थोमस चाज़िकाडन
38. श्री भर्तृहरि महताब
39. श्री सौमित्र खान
40. श्री पी. रविन्द्रनाथ
41. मौलाना बदरुद्दीन अजमल
42. श्री हनुमान बेनीवाल
43. डॉ. सुजय राधाकृष्ण विखे पाटील
44. श्री बैन्नी बेहनन
45. कुंवर दानिश अली

* वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

46. श्री विनोद कुमार सोनकर
47. श्री रविकुमार डी.
48. डॉ. थोलकापिय्यन तिरुमावलवन
49. डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे
50. श्री रवनीत सिंह बिट्टू
51. *डॉ. जितेन्द्र सिंह
52. श्री अधीर रंजन चौधरी
53. श्री रितेश पाण्डेय
54. श्रीमती गोड्डेति माधवी
55. डॉ. सुकान्त मजूमदार
56. श्री सुशील कुमार रिंकू
57. श्री डी. एम. कथीर आनन्द
58. श्री असित कुमार मल
59. श्री राजू बिष्ट
60. श्री जसबीर सिंह गिल
61. श्री श्याम सिंह यादव
62. श्रीमती रमा देवी
63. श्री राहुल रमेश शेवाले
64. श्री अनिल फिरोजिया
65. डॉ. अमर सिंह
66. श्री शंकर लालवानी
67. श्री आर.के.सिंह पटेल
68. श्री कुरुवा गोरांतला माधव
69. श्री जनार्दन सिंह ''सीग्रीवाल''

---

* विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री; तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री

70. श्री संजय सेठ
71. श्री दिलीप शइकीया
72. श्री जुगल किशोर शर्मा
73. श्रीमती प्रतिमा मण्डल
74. श्री संतोष पान्डेय
75. श्री विजय कुमार दुबे
76. श्री हेमन्त श्रीराम पाटिल
77. श्री संगम लाल गुप्ता
78. श्री प्रसून बनर्जी
79. श्री सुशील कुमार सिंह
80. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी
81. श्री रमेश बिधूड़ी
82. श्री जगदम्बिका पाल
83. श्री मनोज कोटक
84. श्री पी.पी. चौधरी
85. श्री बिद्युत बरन महतो
86. श्री सुनील कुमार सिंह

अध्यक्ष ने चर्चा का समापन इस विचार के साथ किया कि सभा ने चंद्रयान-3 मिशन की सफलता और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों की अन्य उपलब्धियों पर एक व्यावहारिक और सार्थक चर्चा की।

इस विषय पर टिप्पणी करने के उपरांत अध्यक्ष ने यह संकल्प पेश किया कि 'अंतरिक्ष कार्यक्रम हमारे राष्ट्र के लिए गौरव का स्रोत है।'

संकल्प स्वीकृत हुआ।

12. *संकल्प - स्वीकृत

(एक) श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना संख्या 47/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 19 अगस्त, 2023 [सा.का.नि. 616 (अ), दिनांक 19 अगस्त, 2023] का अनुमोदन करती है, जिसका आशय एचएस कोड 0703 10 के अंतर्गत आने वाले प्याज के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करना है।"

(दो) श्री पंकज चौधरी ने श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से निम्नलिखित संकल्प पेश किया:-

"सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसरण में, यह सभा अधिसूचना संख्या 49/2023-सीमा शुल्क, दिनांक 25 अगस्त, 2023 [सा.का.नि. 628 (अ), दिनांक 25 अगस्त, 2023] का अनुमोदन करती है, जिसका आशय एच एस कोड 1006 30 10 के अंतर्गत आने वाले उबले चावल के निर्यात पर निर्यात शुल्क लगाने के लिए सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करना है।"

संकल्प सभा की अनुमति के लिए रखे गए और स्वीकृत हुए।

रात्रि 11.39 बजे

13. विदाई उल्लेख**

अध्यक्ष ने सत्रहवीं लोक सभा के तेरहवें सत्र के समापन पर विदाई उल्लेख किया।

---

* अपराह्न 4.18 बजे

**मूल हिन्दी में। विवरण के लिए उस दिन का वाद-विवाद देखें।

रात्रि 11.43 बजे

14. राष्ट्रीय गीत

राष्ट्रीय गीत की धुन बजाई गई।

रात्रि 11.44 बजे

(लोक सभा रात्रि 11.44 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई।)

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव